



3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है.
4. यह कि, उपरोक्त प्लॉट पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के साटा संख्या 7 एवं 8 रकबा क्रमशः 0.2540 व 0.080 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.334 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना विहीन जाने का परस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 27 जून 2022 द्वारा पारित किया गया है.
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनी का निर्माण अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया गया है.
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त प्लॉट पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्माते भवनी का ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु परस्तुत किया गया है.
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवन पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा.
8. यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा.
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवन में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद्/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/ विद्यालय/ महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा.
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं क्वेश्चरालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुसार ही सुरक्षित किया जायेगा.
11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जाएगा.
12. यह कि, शासन/परिषद् द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का गंभीरतापूर्वक पालन करेगा. यदि भेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकनुसार कोई भी कमी पाई जाती है तो परिषद् की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा. इस हेतु भेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी.
13. मैं घोषणा करता हूँ की भेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है. यदि दी गई जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो भेरे विरुद्ध परिषद् द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी. ऐसी की गई विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा.

Rinmat Regional Management  
Technical Literary Society

Rinmat Regional Management  
& Technical Literary Society



*[Signature]*  
Secretary  
I am  
Identified as  
Advocate to be notified and  
are true and correct and is here to  
verified and attested

*[Signature]*  
Chairman

P. K. Dwivedi  
Advocate Notary  
Govt. of India

ADVOCATE PRAYAGRAH

28/06/23